भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 45

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण

45. श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसे संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 51 प्रतिशत या अधिक हिस्सेदारी है, में की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है, में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए कोई आरक्षण नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने उक्त संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में सरकार के सभी दिशानिर्देशों को लागू करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में आरक्षण अधिनियम कब तक लागू होने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 प्रबंध निदेशकों, कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी जैसे पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्तियों से संबंधित है। इन कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग): उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ): भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की शेयरधारिता 51% या उससे अधिक है, में आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं है।

****